न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-01, मुजफ्फरनगर।

परिवाद संख्या-2228/9 सन् 2020
लोकेश कुमार बनाम परिजात पेपर मिल प्रा.लि. आदि
थाना-नई मंडी, जिला- मुजफ्फरनगर।

05.06.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। बार-बार पुकार कराई गई परन्तु परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 12.03.2020 को प्रस्तुत मुकदमा बतौर परिवाद दर्ज हुआ था। उक्त दिनांक से पत्रावली बयान 200 दं.प्र.सं. हेतु नियत चली आ रही है परन्तु परिवादी विगत कई नियत दिनांकों से न्यायालय के समक्ष अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. दर्ज कराने हेतु उपस्थित नहीं हुआ है। पत्रावली पर विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य एवं आधार उपलब्ध नहीं है। अतः परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 203 दं.प्र.सं. निरस्त होने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(आकांक्षा गर्ग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं. 01, मुजफ्फरनगर।